

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या-821/2009/जयपुर

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
उडनदस्ता षष्ठम, जयपुर

....अपीलार्थी

बनाम

मै0 कोहिनूर आयरन एंड स्टील
केसर भवन, स्टेशन रोड, जयपुर

.....प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री खेमराज, अध्यक्ष

उपस्थित : :

श्री एन.के.बैद,
उप राजकीय अभिभाषक
श्री अलकेश शर्मा
अभिभाषक

.....अपीलार्थी राजस्व की ओर से

प्रत्यर्थी की ओर से
निर्णय दिनांक :06.02.2017

निर्णय

1. अपीलार्थी-विभाग द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स), चतुर्थ, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 135/अपील्स-IV/08-09/जी में पारित आदेश दिनांक 30.01.2009 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, उडनदस्ता-षष्ठम, राजस्थान, जयपुर (जिसे आगे "कर निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्द्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 76(6) के अन्तर्गत शास्ति रु. 1,95,150/- आरोपित कर आदेश दिनांक 01.09.2008 पारित किया है। उक्त आरोपित शास्ति के विरुद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपील प्रस्तुत करने पर उन्होंने आरोपित शास्ति को अपास्त किया है।
2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दिनांक दिनांक 19.08.2008 को वाहन संख्या RJ 23 G 1945 को रोड नम्बर 1, वी.के.आई.ए पर चैक किया गया। वक्त चेकिंग वाहन में लदे माल से सम्बन्धित दस्तावेज कर निर्धारण अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर वाहन चालक ने परिवहनित माल से सम्बन्धित दस्तावेज माल के मालिक के द्वारा ले जाना बताया गया है। वक्त चेकिंग वाहन के केबिन की जांच करने पर उसमें उमंग कैरियर्स की बिल्टी संख्या 13533 दिनांक 01.08.2008, फार्म 32 क्रमांक एएच 2314100, बिल क्रमांक 222 दिनांक 01.08.2008 व फार्म वैट 47 क्रमांक 4263508 आदि दस्तावेज पाये गये। इन सभी दस्तावेजों में वाहन संख्या आर.जे.23-जी 1946 को

काटकर/फ्लूड लगाकर बदलकर आर.जे.23-जी 1945 किया गया तथा इसके अलावा फार्म वैट 47 में कंसाइनर के हस्ताक्षर नहीं है एवं इसमें दिनांक, महीना एवं कीमत लाख रुपये तक को निर्दिष्ट स्थान पर पंच नहीं किया गया है। उक्त तथ्यों के पाये जाने पर कर निर्धारण अधिकारी ने करापवंचन की दोषी मानसिकता से माल का परिवहन किया जाना मानते हुए नोटिस जारी किया। उक्त नोटिस की पालना में सन्तोषजनक जवाब प्रस्तुत नहीं करने के कारण परिवहनित माल एम.एस. इन्गट कीमतन रुपये 6,50,000/- पर अधिनियम की धारा 76(6) के अन्तर्गत 30 प्रतिशत की दर से शास्ति रुपये 1,95,150/- आरोपित करते हुए आदेश दिनांक 01.09.2008 पारित किया। उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर, उन्होंने आरोपित शास्ति को अपास्त कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.01.2009 पारित किया है। उक्त अपीलाधीन आदेश से असन्तुष्ट होकर राजस्व की ओर से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3. अपीलार्थी की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक द्वारा कथन किया गया कि जांच के दौरान दस्तावेजों में वाहन संख्या आर.जे.23-जी 1946 को काटकर/फ्लूड लगाकर बदलकर आर.जे.23-जी 1945 किया जाना पाया गया तथा इसके अलावा फार्म वैट 47 में कंसाइनर के हस्ताक्षर नहीं है। उनका कथन है कि उक्त तथ्यों से उजागर होता है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा करापवंचन की दोषी मानसिकता से माल का परिवहन किया जा रहा था, जिससे अधिनियम की धारा 76 (2) के प्रावधानों का उल्लंघन होने से कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 76(6) के अन्तर्गत शास्ति रू. 1,95,150/-आरोपित की गई है, जो पूर्णतः विधिक है। उनका कथन है कि विद्वान अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण के तथ्यों की अनदेखी करते हुए आरोपित शास्ति को अपास्त किया है, जो उचित नहीं है। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर प्रस्तुत अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश का अपास्त करने का निवेदन किया।

4. प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि प्रारम्भ में ट्रक नम्बर के कॉलम में आर.जे 23 जे/1946 लिखा गया था लेकिन वास्तव में वाहन संख्या आर.जे 23 जी/1945 था, अतः आर.जे 23जी/1946 को आर.जे. 23जी/1945 किया गया। उन्होंने यह भी बताया कि उड़ीसा वैट अधिनियम/नियमों के अनुसार उक्त विक्रेता व्यवहारी से भूलवश क्रम संख्या 2 में कुछ अन्य माल अंकित हो गया इसलिए जब गलती ध्यान में आ गयी तो उस पर फ्लूड लगाकर उसमें परिवर्तन करके लघु हस्ताक्षर किये गये हैं। उनका कथन है कि माल का परिवहन कूटरचित अथवा मिथ्या दस्तावेजों के साथ नहीं किया जा रहा था, जिससे अधिनियम की धारा 76 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। उन्होंने बताया कि आयातित माल के साथ घोषणा पत्र वैट-47

नम्बर 4263508 पूर्ण रूप से भरकर मय हस्ताक्षर प्रेषित किया गया है। उनका कथन है कि जो ओवरराईटिंग की गई वह सही प्रविष्टियाँ करने हेतु की गई है, जो सद्भाविक है। उनका कथन है कि प्रविष्टियों को सही करने में उसका कोई दोषी मनोभाव अथवा कर चोरी की मंशा नहीं थी। उनका कथन है कि विद्वान अपीलीय अधिकारी ने इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखते हुए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित शास्ति को अपास्त किया गया है, जिसमें किसी भी प्रकार अविधिकता नहीं है। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने का निवेदन किया।

5. उभय पक्ष की बहस सुनी गयी तथा उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। रिकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि वक्त चेकिंग वाहन चालक से परिवहनित माल से सम्बन्धित दस्तावेजों को मांगे जाने पर उसने बताया कि माल के दस्तावेज माल के मालिक अपने साथ ले गये हैं, किन्तु वाहन के कैबिन की जांच करने पर उसमें बिल्टी संख्या 13533 दिनांक 01.08.2008, फार्म क्रमांक एएच 2314100, बिल क्रमांक 222 दिनांक 01.08.2008 व घोषणा पत्र वैट-47 क्रमांक 4263508 आदि दस्तावेज पाये गये हैं। उक्त दस्तावेजों की जांच पर कर निर्धारण अधिकारी ने पाया है कि वाहन संख्या आरजे 23-जी- 1946 को काटकर/फ्लूड लगाकर उसके आरजे 23-जी- 1945 किया गया है तथा फार्म 32 एक बिल क्रमांक 223 दिनांक 01.08.2008 को फ्लूड लगाकर हटाया गया है। इसके अतिरिक्त घोषणा पत्र वैट-47 में कन्साईनर के हस्ताक्षर नहीं होने के साथ ही साथ इसमें दिनांक, महीना एवं कीमत लाख रु तक को निर्दिष्ट स्थान पर पंच नहीं किया गया है।

6. इसके अतिरिक्त उमंग कैरियर्स की ओर से उसमें अधिकृत हस्ताक्षर करने वाले दिलीप कुमार अग्रवाल ने पत्र दिनांक 20.08.2008(पत्रावली के पेज 20 पर उपलब्ध है) में बताया गया है कि "चूंकि गाडी खराब हो गयी थी दूसरी गाडी की व्यवस्था में समय लग जाने के कारण गाडी नं.आरजे 23जी 1945, 8.8.2008 को राउरकेला से निकलकर गई है। चूंकि पहले ही (1.8.2008) का बिल,बिल्टी, वे-बिल एवं रोड परमिट के कागज बन चुके थे जो हमने उन कागज में कटिंग कर ओवर राईटिंग करनी पडी। पहली गाडी (आरजे 23जी-1946) थी और जीस गाडी से माल भेजा गया वह गाडी नम्बर आरजे 23जी-1945 है। सो हमने कटिंग कर 46 को 45 करना पडा.....।"


7. वाहन चालक के बयानों एवं ट्रांसपोर्टर द्वारा लिखित पत्र में अंकित तथ्यों में विरोधाभास होने के कारण प्रत्यर्थी व्यवहारी को नोटिस जारी किया गया। नोटिस की पालना में बताया गया कि गलती से अन्य विक्रय का विवरण, जो किसी अन्य वाहन में लोड किये जाने थे, अंकित करना बताया है।

8. उक्त प्रकार से प्राप्त दस्तावेजी तथ्यों व साक्ष्यों के आधार पर कर निर्धारण अधिकारी ने जांच पर पाया है कि मैसर्स बिसरा स्टील्स प्रा.लि. की फैक्टरी से माल गाडी नम्बर आर जे 23 जी 1946 से निकल कर दिनांक 07.08.2008 को उड़ीसा राज्य के बाहर निकल गया है जो जांच में प्राप्त इसी गाडी के बिल क्रमांक 223 दिनांक 01.01.2008 पर लगी उड़ीसा राज्य की सीमा चैक पोस्ट की मोहर से प्रमाणित है। जांच में प्राप्त दस्तावेजों के अनुसार गाडी नम्बर आर जे 23 जी 1946 का खराब बताकर उसमें से माल 2.230 टन माल, दूसरी कम्पनी से इसी व्यवसाई के लिए जा रहे 19 टन माल भरी गाडी नम्बर यू पी 80 एवाई 9531 में डालना बताकर इसके दस्तावेजों में गाडी नम्बर बदल कर बाद में की गयी कार्यवाही है ।

9. प्रकरण के उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि वाहन चालक द्वारा दिये बयानों, ट्रान्सपोर्टर द्वारा लिखे गये पत्र एवं अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत अपील आधारों में रेकार्ड में परिवर्तन किये जाने का उल्लेख किया गया है, जो विरोधाभासी है, इन तथ्यों पर अपीलीय अधिकारी ने अपने आदेश में कोई विवेचन नहीं किया है। उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते हैं कि वह प्रत्यर्थी व्यवहारी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए उनके समक्ष प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों की गहनता से जांच करने के पश्चात पुनः न्याय संगत आदेश पारित करें।

10. फलस्वरूप उपरोक्त विवेचित तथ्यों के आधार पर अपील स्वीकार कर प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को पुनः आदेश पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है।

निर्णय सुनाया गया ।


(खेमराज)
अध्यक्ष